प्रेस-विज्ञप्ति **25** अगस्त, **2019**

श्रीयुत सम्पादक जी,

विषय: "सर्च, जब्ती, गिरफ्तारी एवं जेल सजा का कार्रवाई विषय पर
जी.एस..टी. सेमिनार संपन्न"

महोदय,

जी.एस.टी. के छापे की कार्रवाई, ज्वाइंट कमिश्नर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा सर्च वारंट जारी करने पर ही अधिकृत विभागीत अधिकारी कारोबारी स्थल, संचालन के स्थान, माल के भंडारण स्थलों पर की जा सकती है। अघोषित स्टॉक को ही जब्त कर सकते है। बही खाते कागजात भी कर निर्धारण की अग्रिम कार्रवाई हेतु विभागीय अधिकारी जब्त करने के अधिकारी है। माल कागजातों की सूची बनेगी। छापे की कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह होंगे। गवाहों की उपस्थिति में ताले आवश्यकता पड़ने पर तोड़ कर कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किये गए है। जब्त कारोबारी स्टॉक पर जीएसटी की धनराशि एवं उसके समतुल्य अर्थदंड की धनराशि नगद जमा कराने या गारंटी बांड प्रस्तुत करने पर सर्च अधिकारी माल अस्थायी रूप से अवमुक्त करेंगे। माल के सम्बन्ध में धारा 130 की कार्यवाही में कर एवं अर्थदंड आदेश पारित किये जाएंगे। इस धनराशि को जमा करने पर ही अंतिम रूप से माल अवमुक्त किया जाएगा। इस आदेश से संतुष्ट न होने पर कारोबारी नियमानुसार अपील दाखिल कर सकते है। किन्तु छापे की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कर, ब्याज, एवं अर्थदंड आरोपण की कार्रवाई व्यापारी के क्षत्रीय कर-निर्धारण अधिकारी ही सम्पादित करेंगे। छापे के अधिकारी जाँच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट उन्हें प्रेषित करेंगे। जी.एस.टी छापे के दौरान कारोबारी स्टॉक को जब्त करने के अधिकार नहीं है। व्यापारियों के कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हो रही है। सरकार को यह स्टॉक जब्ती अधिकार समाप्त करने होंगे। उक्त विचार मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्ड अकॉउंटैंट्स सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जी.एस.टी. सेमीनार में इलाहाबाद उच्च न्यायलय के कर विशेषज्ञ अधिवक्ता शुभम अग्रवाल ने व्यक्त किये।

जी.एस.टी. सेमीनार के द्वितीय सत्र में श्री सुरेंद्र प्रताप, अधिवक्ता ने बताया कि जी.एस.टी. कानूनों के तहत कारोबारी की गिरफ्तारी हो सकती है। जेल सजा की कार्रवाई सी.जे.एम. की अदालत में विभाग के सक्षम अधिकारियों की आपराधिक शिकायत पर नियमानुसार होंगी। यदि कमिश्नर को विश्वास होने के कारण है कि कारोबारी ने धारा 132 में वर्णित अपने कारोबारी गतिविधियों का उल्लंघन किया है, तभी गिरफ्तारी करने के आदेश जारी करेंगे। अधिकारी स्वयं अपने स्तर से गिरफ्तार नहीं कर सकता है । विभाग को 24 घंटे के अंदर अदालत में न्यायधीश के सामने प्रस्तुत करना होगा। अदालत को सभी कारण, आरोप एवं साक्ष्यो से

अवगत कराना होगा कारोबारी जमानत के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते है। विभाग को रिमांड तभी मिलेगा। जब अदालत अग्रिम जाँच पड़ताल हेतु विभागीय अपेक्षित कार्यवाही से संतुष्ट होंगी।

श्री सुरेंद्र प्रताप जी ने बताया कि गिरफ्तारी हेतु विभाग विशेष गंभीर परिस्थितियों में कार्रवाई करने हेतु सक्षम है। माल की सप्लाई कर चोरी की भावना से बिना इनवॉइस की जाती है। गलत एवं छल-कपट से बिना माल की आपूर्ति से इनवॉइस जारी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा रहा हो अथवा रिफंड प्राप्त कर रहे है। जी.एस.टी. की धनराशि व्यापारियों से वसूल कर रहे है। किन्तु विभाग में जमा करने की तिथि से तीन माह तक जमा नहीं किया जा रहा है।

जेल सजा की कार्रवाई विभाग अदालत में कारोबारी की खिलाफ आपाधिक शिकायत से विशेष स्थितियों में भी प्राप्त कर सकते है। उक्त स्थितियों के अलावा मुख्य रूप से गलत बही खातों एवं कागजातों, सूचनाओं, का लाभ लेना, झूठे कागजात एवं रिटर्न दाखिल कर जी.एस.टी. चोरी करना, विभागीय टैक्स ऑडिट में अधिकारियों की कार्रवाई में बाधा डालना, टैक्स चोरी के पूर्ण जानकारी से माल परिवहन, भण्डारण, खरीद एवं बिक्री करना, साक्ष्यो से छेड़छाड़ करना या नष्ट करना, गलत सुचना दाखिल करना, आदि मामले में जेल सजा की कार्रवाई जा सकती है। टैक्स चोरी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत या फ़र्ज़ी लाभ लेने पर पांच करोड़ से अधिक धनराशि पर 5 वर्ष या फाइन दोनों की सजा। दो करोड़ से पांच करोड़ तक तीन वर्ष जेल एवं फाइन। एक करोड़ से दो करोड़ तक एक वर्ष जेल एवं फाइन दोनों ही सजा की जा सकती है। किन्तु अन्य सभी सजा दायरे में 6 माह की सजा एवं फाइन अदालत निर्धारित कर सकती है।

सेमीनार के प्रारम्भ में मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.एम.गर्ग ने स्वागत करते हुए कारोबारी के स्टॉक, जब्ती एवं जेल सजा कार्यवाही के औचित्य पर प्रश्न उठाया।

शंका-समाधान सत्र में व्यापारियों, अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड अकाउंटेन्ट का समाधान वक्ताओं द्वारा किया गया। संचालन मर्चेंट्स चैम्बर जी.एस.टी. कमेटी के चैयरमैन संतोष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। आभार ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने व्यक्त किया।

मुख्य रूप से श्री टीकम चन्द्र सेठिया, श्री दीप कुमार मिश्रा, श्री बी.के. लाहोटी, श्री अतुल मेहरोत्रा, श्री राजीव कुमार गुप्ता, श्री अखिलेश तिवारी, मर्चेंट्स चैम्बर के सचिव महेंद्र नाथ मोदी, श्री अभिषेक पांडे, श्री शरद श्रीवास्तव, श्री विमल बाजपेई, श्री शिशिर शुक्ला आदि उपास्थित रहे।

सधन्यवाद

महेंद्र नाथ मोदी